न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 202/2024 दायर दिनॉक 26.07.2024

वादीनी

1. नाथ पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रीराम पुत्र पूरखाराम
2. सुनिता पुत्री पूरखाराम
3. मन्जु उर्फ मधु पुत्री पूरखाराम
4. निशा मेहरा पुत्री (संतोष पुत्री पूरखाराम पत्नी भंवरलाल)
5. ओमप्रकाश पुत्र पूरखाराम
6. मनीष कुमार पुत्र मोहनलाल
7. मनोज कुमार पुत्र मोहनलाल
8. मुकेश पुत्र मोहनलाल
9. विमलेश पत्नी मोहनलाल
10. दुर्गा पत्नी ताराचन्द
11. अरविन्द राज कोहली पुत्र ताराचन्द
12. खुशबु पुत्री ताराचन्द
13. भावना पुत्री ताराचन्द (प्रतिवादी सं0 12 व 13 नाबालिग जरिये संरक्षक माता दुर्गा) समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बालिया तह0 डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन
14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188, 53, 88

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादीनी।
2. श्री श्रीराम वकील प्रतिवादी सं0 1,5,7,8 की ओर से।

–:: निर्णय ::–

दिनॉक **11.12.2024**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 13 की संयुक्त खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा सं0 23 रकबा 3.4100 हैक्टे0 वाकै सरहद ग्राम बालिया पटवार हल्का बालिया, भू0अभि0नि0 क्षैत्र निम्बी कलां में अवस्थित है। जिसमें वादीनी का 49/341 हिस्सा अर्थात 0.4900 हैक्टे0 भूमि खातेदारी में दर्ज है।

वादीनी ने खेत खसरा सं0 23 रकबा 3.4100 हैक्टे0 के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 श्रीराम के हिस्से में से उसके कब्जा काश्त की बंट की भूमि में से 49/341 हिस्सा यानि 0.4900 हैक्टे0 भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाण दिनांक 08.02.2022 को खरीद सुदा भूमि का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा संलग्न नजरी नक्शा अनुसार प्राप्त कर खरीद करने के पश्चात से लगातार काबिज व काश्त है। प्रतिवादी सं0 1 ता 13 की उपरोक्त खसरा की भूमि पुश्तैनी कृषि भूमि है। जिसमें खातेदारान स्व0 पूरखाराम के वारिसान स्व0 मोहनलाल, श्रीराम, स्व0 ताराचन्द, ओमप्रकाश वगैराह के बीच वर्षो पहले भौतिक रूप से अलग–अलग बंटवारा होकर मौके पर अलग–अलग काबिज है तथा वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 ने उसके हक बंट की भूमि में से 0.4900 हैक्टे0 ... नक्शा अनुसार रजिस्टर्ड कर भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किया तथा वादीनी के आवागमन ... में दर्शित रास्ता प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से दिया गया। ... की भूमि पर काबिज व काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना वादीनी निम्न प्रकार हैः–

वर्तमान खेत खसरा सं0 23 रकबा 3.4100 हैक्टे0 वाकै सरहद बालिया तहसील डीडवाना में से संलग्न नजरी नक्शा अनुसार वादीनी के खरीद सुदा कब्जा सुदा हक हिस्से 0.4900 हैक्टे0 की खातेदारी, प्रतिवादी सं0 1 ता 13 से बंट की जाकर अलग की जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीनी के नाम अलग खातेदारी अमल दरामद की जावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीनी व प्रतिवादी सं0 01, 05, 07, 08 का राजीनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीनी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा व इकबालीया जवाब अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीनी अपनी खरीद सुदा, कब्जा सुदा भूमि का बंटवारा करवाने की इस्तदुआ कर रही है। स्व0 पूरखाराम के वारिसान ने राजीनामा व इकबालीया जवाब पेश कर वाद को स्वीकार किया है। वादीनी अपनी खरीद सुदा भूमि का बंटवारा नजरी नक्शा के अनुसार करवाने की हकदार है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पक्षकारान के मध्य प्रस्तुत राजीनामा व इकबालीया जवाब के परिप्रेक्ष्य में वादीनी का हस्तगत वाद डिक्री सादर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाकै सरहद बालिया के खेत खसरा सं0 23 रकबा 3.4100 हैक्टे0 में से वादीनी की खरीद सुदा 49/341 हिस्सा अर्थात 0.4900 हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" के अनुसार वादीनी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है व उक्त खसरे में से पक्षकारान का रास्ता 0.1699 हैक्टे0 वादीनी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में रहेगा। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हों।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **11.12.2024** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **202/2024** दायर दिनाँक **26.07.2024**

वादीनी

1. नाथ पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी खिंचियाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रीराम पुत्र पूरखाराम
2. सुनिता पुत्री पूरखाराम
3. मन्जु उर्फ मधु पुत्री पूरखाराम
4. निशा मेहरा पुत्री (संतोष पुत्री पूरखाराम पत्नी भंवरलाल)
5. ओमप्रकाश पुत्र पूरखाराम
6. मनीष कुमार पुत्र मोहनलाल
7. मनोज कुमार पुत्र मोहनलाल
8. मुकेश पुत्र मोहनलाल
9. विमलेश पत्नी मोहनलाल
10. दुर्गा पत्नी ताराचन्द
11. अरविन्द राज कोहली पुत्र ताराचन्द
12. खुशबु पुत्री ताराचन्द
13. भावना पुत्री ताराचन्द (प्रतिवादी सं0 12 व 13 नाबालिग जरिये संरक्षक माता दुर्गा) समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बालिया तह0 डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा रास्ता व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा—188, 53, 88

दिनाँक **11.12.2024**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादीनी व श्री श्रीराम वकील प्रतिवादी सं0 1,5,7,8 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद बालिया के खेत खसरा सं0 23 रकबा 3.4100 हैक्टे0 में से वादीनी की खरीद सुदा 49/341 हिस्सा अर्थात 0.4900 हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" के अनुसार वादीनी को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश जारी किये जाते है व उक्त खसरे में से पक्षकारान का रास्ता 0.1699 हैक्टे0 वादीनी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में रहेगा। नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **11.12.2024** को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:55 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:55 IST
Reason: SelfAttested